

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—04/18 (2018/00126) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रतनलाल आत्मज पन्नालाल कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पारसकवंर पत्नि दुर्गासिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. मुकेश चौधरी —
2. हरिश टेलर —

प्रार्थी अधिवक्ता

विपक्षी संख्या 2 अधिवक्ता

मुकदमा नम्बर:—21/13 (2013/00047) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. बंशीलाल पिता नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रहलाद पिता नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शान्तिलाल पिता नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादी पुत्री नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नेनु पुत्री नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गंगा बेवा नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

1. पारसकवंर पत्नि दुर्गासिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 92क, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —
2. हरिश टेलर —

वादीगण अधिवक्ता

विपक्षी संख्या 1 अधिवक्ता

मुकदमा नम्बर:—73/14 (2014/00177) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. पारसकवंर पत्नि दुर्गासिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये
पावर ऑफ एटोर्नि होल्डर गंगासिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. केसरदेवी पत्नि उंकार कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतन आत्मज पन्नालाल कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बंशी आत्मज नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रहलाद आत्मज नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गंगा बेवा नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण



पेज 02

मुकदमा नम्बर:-04/18 (2018/00126) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बर:-21/13 (2013/00047) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बर:-73/14 (2014/00177) प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर -
2. मुकेश चौधरी -
3. फारूख मोहम्मद -

प्रार्थी अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 2 अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 3 से 5 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 08.10.2020

पत्रावलिया आज पेश हुई। प्रथम प्रकरण रतनलाल बनाम सरकार के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.05.2005 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खुटियां के बैरून हल्का आबादी में स्थित साबिक खसरा नम्बर 288/6 रकबा 10 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है नवीन भू प्रबन्ध के दौरान उक्त साबिक खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 781 रकबा 2.16 है0 भूमि बनाते हुए प्रार्थी के नाम दर्ज की है प्रार्थी का कब्जा साबिक नक्शे के अनुसार हाल आराजी नम्बर 282 रकबा 0.16 है0 एवं 783 रकबा 0.56 है0 तथा आराजी नम्बर 811 रकबा 0.44 है0, आराजी नम्बर 781 रकबा 1.00 है0 भूमि पर कब्जा चला आ रहा है इसी अनुसार साबिक नक्शा अनुसार मेरे कब्जेशुदा आराजी को फीट करना चाहिये था जो नहीं कर मेरे हक की जमीन को गलत नक्शे में फीट कर दी है और दुसरो की आराजी में मिला दिया मौके पर प्रार्थी 10 बीघा भूमि पर काबिज है। अतः साबिक आराजी संख्या 288/6 रकबा 10 बीघा भूमि को पूर्व में अर्थात् साबिक नक्शे में जहां फीट किया हुआ था को नवीन नक्शे में फीट किया जावे प्रार्थी के नाम हाल आराजी नम्बर 781 रकबा 2.16 है0 मे से कम करते हुए 1.00 है भूमि प्रार्थी के नाम एवं हाल आराजी नम्बर 782 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 783 रकबा 0.56 है0 भूमि तथा आराजी नम्बर 811 रकबा 0.44 है0 भूमि प्रार्थी के नाम एक ही चक में दर्ज की जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के द्वारा दिनांक 04.07.2005 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के अनुसार ही फीट करने के लिए संसोधन किये जाने का आदेश दिया गया उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती पारस कवंर के द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील दर्ज करने से माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 19/2014 दर्ज करते हुए दिनांक 06.03.2017 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2005 को अपास्त कर अपीलान्त व अन्य प्रभावित पक्षकारो साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को निर्णित करने हेतु प्रति प्रेषित किया गया जिस पर प्रकरण पुनः 01.06.2018 को दर्ज होकर पक्षकारो को सुना गया।



इसी दौरान श्री बंशीलाल वगैरा वादीगण द्वारा श्रीमती पारसकवंर एवं राजस्थान सरकार के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92क, 188 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

वादी द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खुटियां में वादीगण के खातेदारी कब्जे काशत की साबिक आराजी संख्या 288/5, 290/3 कुल कित्ता रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि एक ही चक में स्थित थी। वादीगण की आराजियात से उत्तर की ओर रतनलाल पिता पन्नालाल कुमावत के नाम आराजी संख्या 288/6 रकबा 10 बीघा दर्ज रेकार्ड थी। नवीन भू प्रबन्ध होने पर वादीगण के कब्जे काशत की आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 813 रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 814 रकबा 2.41 है0 कायम किये और खातेदार रतनलाल के नवीन आराजी नम्बर 781 रकबा 2.16 है0 कायम किये इसी तरह बंशीलाल पिता घीसा नाई के साबिक आराजी नम्बर 290/8 के नवीन खसरा नम्बर 811 रकबा 0.87 है0 कायम किये गये। उक्त नवीन नम्बर भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा गलत इन्द्राज किया गया है। वादीगण की आराजी नम्बर 812, 813, 814 के उत्तर की ओर 811 को फीट कर दिया जो गलत है जिसे दुरस्त कराने के वादीगण के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की नवीन आराजी संख्या 812, 813, 814 को साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में फीट कराया जावे।

इस प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर वाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर अकिंत किया कि वादीगण ने सम्पूर्ण वाद में यह अकिंत नहीं किया कि उनकी किस नम्बर की आराजी का कितना रकबा किस आराजी में फीट किया है और उनका कब्जा वर्तमान में किस किस आराजी में आता है कुछ भी स्पष्ट नहीं है वादीगण मुझ प्रतिवादीगण संख्या 1 पारसकवंर की भूमि हड़पना चाहते हैं और स्वयं खरीदना चाहते हैं इसलिए प्रतिवादीया को जलील व परेशान करने की वजह से वाद पेश किया है अतः खारीज फरमाया जावे।

उपरोक्त दोना प्रकरण विचाराधीन के दौरान प्रार्थीया श्रीमती पारसकवंर द्वारा श्रीमती केसरदेवी वगैरा के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

यह है कि ग्राम खुटियां प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 811 रकबा 0.97 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमि के चारो तरफ कोई मुस्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीया को काशत करने मवेशी वगैरा चराने और घास काटने के दरम्यान पक्षकारान के मध्य आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे पत्थरगुड़ी कराना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।



प्रकरण में विपक्षी रतनलाल की ओर से जवाब पेश किया जिसमें अकिंत किया कि विपक्षी 2 ने एक प्रार्थना पत्र 53/2005 में दिनांक 04.07.2005 में पारित निर्णय की पालना नहीं हुई है और इसी के साथ विपक्षी 3 श्री बंशीलाल के द्वारा एक प्रकरण 21/13 पेश कर स्थगन प्राप्त कर रखा है ऐसी स्थिति में जब तक विपक्षी क्रमांक 2 एवं 3 के विचाराधीन प्रकरण निर्णित नहीं हो तब तक प्रार्थीया पत्थरगढ़ी कराने के हकदार नहीं है। और उक्त भूमि को लेकर करके अन्य न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है प्रार्थीया लड़ाई झगड़ा कर कब्जा प्राप्त करना चाहती है अतः खारीज फरमावे।

उक्त तीनों ही प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य साबिक नक्शे एवं कब्जे को लेकर मौके पर विवाद है और प्रकरण में दिनांक 22.09.2020 को सुनवाई निर्धारित थी प्रकरणों से सम्बंधित अधिवक्ताओं के द्वारा दौरान सुनवाई यह निवेदन किया कि पिछले 15 वर्षों से पक्षकारों के मध्य विवाद चल रहा है और काफी लड़ाई झगड़ा हुआ और सिविल न्यायालय में भी एकदूसरे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए हैं हम अधिवक्ताओं का अदालत से निवेदन है कि स्वयं मौका निरीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर रेकार्ड और मौके को मध्यनजर रखते हुए प्रकरणों को निस्तारण करना फरमावे।

अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के निवेदन पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2020 को तहसीलदार रायपुर, सम्बंधित भू.अ.नि. पटवारी, एवं पक्षकारों, अधिवक्ताओं व उपस्थित ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर पर्चा मौका तरतीब किया गया जो शामिल पत्रावली है। दौरान मौका जांच नवीन आराजी नम्बर 781, 782, 783 के सम्पूर्ण रकबे पर एवं आराजी नम्बर 811 के रकबा 0.87 मे से 0.44 है० पर प्रार्थी रतनलाल पिता पन्नलाल कुमावत का कब्जा पाया गया जिसमें आराजी नम्बर 782 बिलानाम सरकार एवं 783 खातेदार केसरदेवी एवं खसरा नम्बर 811 खातेदार पारसकवर के नाम दर्ज रेकार्ड है इसी प्रकार दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 811 के शेष रकबा 0.43 है० एवं खसरा नम्बर 814 सम्पूर्ण पर श्री बंशीलाल प्रहलाद शान्तिलाल पिता नारायण वगैरा का कब्जा पाया गया है जिसमें खसरा नम्बर 811 खातेदार पारसकवर पत्नि दुर्गासिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड है मौके पर उपस्थित खातेदारान का कब्जा अपने खाते में दर्ज रकबे से ज्यादा पाया गया जिसकी जानकारी मौके पर उपस्थित खातेदार और हाजरियान को करायी गयी।

दौरान सुनवाई दिनांक 08.10.2020 को उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित जिनको अवगत कराया गया कि रेकार्ड में दर्ज रकबे से अधिक जिस खातेदार का कब्जा अनाधिकृत है उसे छोड़ना पड़ेगा जिस पर पक्षकार मय अधिवक्ता सहमत हुए और इसी के साथ पारसकवर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 के अधिवक्ता द्वारा विशेष निवेदन किया कि प्रकरण में तहसीलदार रायपुर को आदेशित फरमावे कि प्रार्थीया की भूमि का सीमांकन करा कब्जा दिलाया जावे। न्यायालय में उपस्थित प्रार्थी श्री रतनलाल की ओर



पेज 05

मुकदमा नम्बर:-04/18 (2018/00126) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बर:-21/13 (2013/00047) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बर:-73/14 (2014/00177) प्रार्थना पत्र

से एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 781 में पश्चिम की तरफ का अधिक कब्जा में छोड़ दुंगा और इसी प्रकार वादीगण बंशीलाल वगैरा की ओर से भी उपस्थित श्री प्रहलाद की ओर से न्यायालय मे कहा कि आराजी नम्बर 814 मे से 0.43 है0 भूमि पश्चिम की ओर छोड़ने के लिए तैयार हूँ मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सर्वप्रथम प्रार्थी रतनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. एवं वादी श्री बंशीलाल द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92क, 188 आर.टी.ए. को आशिक तथा प्रार्थीया पारस कवंर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अ. स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उक्त तीनों प्रकरणों में आदेश दिया जाता है कि ग्राम खुटियां के आराजी नम्बर 781 रकबा 2.16 है0 मे से 1.72 है0 (पूर्वी भाग) आराजी नम्बर 811 रकबा 0.87 है0 मे से 0.44 है0 उत्तर की ओर कुल कित्ता 2 रकबा 2.16 है0 भूमि प्रार्थी श्री रतनलाल पिता पन्नालाल कुमावत निवासी खुटिया के नाम एवं आराजी नम्बर 814 रकबा 2.41 है0 मे से 1.98 है0, आराजी नम्बर 811 रकबा 0.87 है0 मे से 0.43 है0 दक्षिण तरफ कुल कित्ता 2 रकबा 2.41 है0 भूमि वादी श्री बंशीलाल, प्रहलाद, शान्तिलाल, पिता नारायण लादी, नेनु, पुत्रीया नारायण गंगा बेवा नारायण माली निवासी खुटिया के नाम दर्ज की जावे। इसी प्रकार आराजी नम्बर 781 रकबा 2.16 है0 मे से 0.44 है0 पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर एवं आराजी नम्बर 814 रकबा 2.41 है0 मे से 0.43 है0 भूमि (पश्चिम की तरफ का भाग जो आराजी नम्बर 813 के कुएं की सीध से इस आराजी के दक्षिणी पश्चिमी सीमा के पास 15 फीट चोड़ा रास्ता कुएं से आराजी नम्बर 771 तक जाने के लिए छोड़ते हुए) कुल कित्ता 2 रकबा 0.87 है0 भूमि श्रीमती पारसकवंर पत्नि दुर्गासिंह राजपूत निवासी गलवा के नाम दर्ज की जावे तथा मौके पर तीनों ही खातेदार को भूमि का सीमांकन कराया जाकर खातेदारान को अवगत कराया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Shu
8-10-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—04/18 (2018/00126) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रतनलाल आत्मज पन्नालाल कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पारसकवर पत्नि दुर्गासिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. मुकेश चौधरी —
2. हरिश टेलर —

प्रार्थी अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 2 अधिवक्ता

मुकदमा नम्बर:—21/13 (2013/00047) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. बंशीलाल पिता नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रहलाद पिता नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शान्तिलाल पिता नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादी पुत्री नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नेनु पुत्री नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गंगा बेवा नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

1. पारसकवर पत्नि दुर्गासिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 92क, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —
2. हरिश टेलर —

वादीगण अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 1 अधिवक्ता

मुकदमा नम्बर:—73/14 (2014/00177) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. पारसकवर पत्नि दुर्गासिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये पावर ऑफ एटोर्नि होल्डर गंगासिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. केसरदेवी पत्नि उंकार कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतन आत्मज पन्नालाल कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बंशी आत्मज नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रहलाद आत्मज नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गंगा बेवा नारायण माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

पेज 02

मुकदमा नम्बर:-04/18 (2018/00126) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बर:-21/13 (2013/00047) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बर:-73/14 (2014/00177) प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम
वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 92क, 188 आर.टी.एक्ट.
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी स्वीकार कर उक्त तीनों प्रकरणों में आदेश दिया जाता है कि ग्राम खुटियां के आराजी नम्बर 781 रकबा 2.16 है० मे से 1.72 है० (पूर्वी भाग) आराजी नम्बर 811 रकबा 0.87 है० मे से 0.44 है० उत्तर की ओर कुल किता 2 रकबा 2.16 है० भूमि प्रार्थी श्री रतनलाल पिता पन्नालाल कुमावत निवासी खुटिया के नाम एवं आराजी नम्बर 814 रकबा 2.41 है० मे से 1.98 है०, आराजी नम्बर 811 रकबा 0.87 है० मे से 0.43 है० दक्षिण तरफ कुल किता 2 रकबा 2.41 है० भूमि वादी श्री बंशीलाल, प्रहलाद, शान्तिलाल, पिता नारायण लादी, नेनु, पुत्रीया नारायण गंगा बेवा नारायण माली निवासी खुटिया के नाम दर्ज की जावे। इसी प्रकार आराजी नम्बर 781 रकबा 2.16 है० मे से 0.44 है० पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर एवं आराजी नम्बर 814 रकबा 2.41 है० मे से 0.43 है० भूमि (पश्चिम की तरफ का भाग जो आराजी नम्बर 813 के कुएं की सीध से इस आराजी के दक्षिणी पश्चिमी सीमा के पास 15 फीट चौड़ा रास्ता कुएं से आराजी नम्बर 771 तक जाने के लिए छोड़ते हुए) कुल किता 2 रकबा 0.87 है० भूमि श्रीमती पारसकवर पत्नि दुर्गासिंह राजपूत निवासी गलवा के नाम दर्ज की जावे तथा मौके पर तीनों ही खातेदार को भूमि का सीमांकन कराया जाकर खातेदारान को अवगत कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



[Signature]
8-10-2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)